

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- ई-33/नेत्र सहा0/एम 123/2018/ 203

दिनांक : 14/5/18

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक:ई-33/नेत्र सहायक/सीधी भर्ती/2015/337 दिनांक 24.08.2015 के द्वारा राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिनस्थ सेवा नियम 1965 के अन्तर्गत नेत्र सहायको को नियुक्ति प्रदान की गई थी। निम्नलिखित नेत्र सहायको जिन्होंने दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि (Probation Period) संतोषजनक रूप से पूर्ण करली है एवं उक्त अवधि में किसी प्रकार का अवकाश/अनुपस्थित नहीं रहे हैं तथा कार्य एवं व्यवहार संतोषप्रद पाये जाने पर राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिनस्थ सेवा नियम 1965 के तहत एतद् द्वारा स्थाईकरण किया जाता है। इन्हे निम्नानुसार परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने की दिनांक से वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक:एफ. 15(1)/एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसरण में पद के पे मैट्रिक्स के लेवल 5 का न्यूनतम वेतन 20800/- एवं नियमानुसार अन्य भत्ते देय होंगे :-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम	पदस्थापन जिला	जन्म दिनांक	कार्य ग्रहण दिनांक	प्रोबेशन पूर्ण करने की दिनांक	नियत वेतनमान दिये जाने की तिथि
1	सुमित कंवर	अजमेर	19.2.89	27.8.2015	26.8.2017	27.8.2017
2	कविता वर्मा	कोटा	9.8.88	31.8.2015	6.1.2018	7.1.2018
3	राकेश कुमार मीणा	बांसवाड़ा	30.11.85	9.9.2015	8.9.2017	9.9.2017
4	विनोद कुमार चावला	बांसवाड़ा	13.5.78	10.9.2015	9.9.2017	10.9.2017
5	जसवीर सिंह	राजसमंद	1.1.78	3.9.2015	2.9.2017	3.9.2017
6	लक्ष्मी	जोधपुर	4.11.87	27.8.2015	26.8.2017	27.8.2017
7	मुकेश	जोधपुर	8.8.87	27.8.2015	26.8.2017	27.8.2017
8	ऋचा	जोधपुर	22.1.84	28.8.2015	27.8.2017	28.8.2017
9	मनीष कृष्ण	स.माधोपुर	19.9.92	3.9.2015	2.9.2017	3.9.2017

उपरोक्त कर्मचारियों का वेतन नियतन संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जावेगा एवं आदेश की प्रालना वित्त विभाग की अधिसूचना सं. एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017 जयपुर दिनांक 9.12.2017 में उल्लेखित निर्देशानुसार/प्रावधानुसार किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

नोट:- क्रम सं. 2 कविता वर्मा द्वारा प्रोबेशन काल में 158 दिवस का असाधारण अवकाश लिया गया है, जिसका नियमानुसार 30 दिवस की छूट पश्चात 128 दिवस का प्रोबेशन काल बढ़ाया गया है।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर

क्रमांक:- ई-33/नेत्र सहा./एम 123/2018/ 203

दिनांक : 14/5/18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. अधीक्षक, राजकीय सेटलाईट चिकित्सालय आदर्श नगर, अजमेर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा, बांसवाड़ा, जोधपुर व सवाई माधोपुर।
3. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, आर.के.राजकीय चिकित्सालय राजसमंद।
4. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सेटलाईट अस्पताल प्रताप नगर, जोधपुर।
5. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सीएचसी, सुलतानपुर (कोटा), बागीदौरा (बांसवाड़ा), फलौदी (जोधपुर), आंसिया (जोधपुर), बामनवास (सवाई माधोपुर)
6. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
7. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को संबंधित अधिकारी की ईमेल एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
8. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)